न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला,
जिला–मोहला मानपुर अं०चौकी (छ.ग.)

राजस्व प्र० क० 202603300300014 / अ–62 / 2025–26

कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ / स)
संभाग मोहला मानपुर अं0चौकी (छ.ग.)

....आवेदक

छ०ग०शासन

विरुद्ध

....अनावेदक

/ / आदेश / /

(पारित दिनांक 18/ 06 / 2026)

आवेदक कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग मोहला मानपुर अं0चौकी (छ.ग.) के पत्र कमांक / 600 / तक / 1315 / 2025–26 मो0मा0अं0चौकी 28 / 02 / 2026 द्वारा सी.आर.आई.एफ.योजनांतर्गत स्वीकृत राजनांदगांव डोंगरगांव चौंकी मोहला मानपुर मार्ग (राज्य मार्ग कमांक 24) लंबाई 96.200 मीटर किमी. का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किमी. 43 से 100 / 2 = 93.90 किमी का चौडीकरण एवं मजबूतीकरण अंतर्गत कुल 2750 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। जिसमें से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पत्र कमांक / 1868 दिनांक 22.12. 2025 के द्वारा 1422 वृक्ष एवं पत्र कमांक / 1360 दिनांक 22.12.2025 के द्वारा 756 वृक्ष इस तहर कुल 2178 नग वृक्षों के कटाई की अनुमति प्राप्त किया गया है, शेष 572 वृक्षों का विदोहन किया जाना है। अतः वृक्ष विदोहन की अनुमति प्रदान किये जाने पत्र प्राप्त हुआ है।

02. प्रकरण अ–62 में पंजीयन किया गया।

03. प्रकरण में वृक्षों के विदोहन के सबंध में तहसीलदार मोहला एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी मोहला से संयुक्त स्थल कर जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट लिया गया। उपरोक्त निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाले वृक्षों कें संबंध में राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर **कुल नग 481 वृक्षों** की प्रजाति प्रस्तावित सूची निम्नानुसार प्रेषित की गई है।

प्रकरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनोंक 24.11.2022 राजस्व एवंआपदा प्रबंधक विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनोंक 24. 11. 2022 की अधिसूचना कमांक एफ 4–03 / 7–1 / 2022 एवं छ.ग. भू. रा. सहिता 1959 कीप्रकरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनाँक 24.11.2022 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनोंक 24.11.2022 की अधिसूचना कमांक एफ 4–03 / 7–1 / 2022 एवं छ.ग. भू. रा. सहिता 1959 की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (इक्सठ) एवं (बैसठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई को विनियमित या रोकने संबंधी नियम अधिसूचना कमांक एफ–2–8–सात–शा–8–94 दिनोंक 29.07.1997 तथा शासकीय वनों से लगे हुए ग्रामों में ईमारती वृक्षों को गिराने तथा हटाने को विनियमित करने के संबंध में नियम अधिसूचना कमांक 218–6477–सात नियम दिनाक 06.01.1960 को अतिष्ठित किये गये नियम 03 के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसीलदार मोहला एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी मोहला के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए सी.आर.आई.एफ.योजनांतर्गत स्वीकृत राजनांदगांव डोंगरगांव चौंकी मोहला मानपुर मार्ग (राज्य मार्ग कमांक 24) लंबाई 96.200 मीटर किमी. का चौडीकरण एवं

Scanned with OKEN Scanner

मजबूतीकरण कार्य किमी. 43 से 100/2 = 93.90 किमी का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण अंतर्गत **ग्राम हिद्दड़, छुरिया, हेरकुटुम्ब, मोहला, धोबेदण्ड, कांडे क्षेत्र अंतर्गत प्रभावित होने वाले कुल 481 प्रजातियों वृक्षों** को संहिता की धारा 240 के तहत् लोकहित में काटे जाने हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन अनुमति दी जाती है।

1. प्रभावित वृक्षों को काटे जाने की अपेक्षा यदि संभव हो तो अन्यंत्र स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जायें।
2. काटे जाने वाले वृक्षों का यदि कोई मुआवजा हो तो वृक्ष काटने के पूर्व संबंधित भूमि स्वामी को विधिवत्त भुगतान की कार्यवाही आवेदक विभाग द्वारा किया जावेगा।
3. वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा किया जावेगा।
4. काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुना संख्या में (कम से कम 5 फीट की उंचाई वाले) वृक्षा रोपण चयनित स्थान पर किया जावेगा तथा वृक्ष कटाई के साथ साथ चिन्हांकित स्थल पर कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग मोहला मानपुर अं0चौकी (छ.ग.) द्वारा कराया जावेगा।
5. वृक्ष कटाई में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग मोहला मानपुर अं0चौकी (छ.ग.) द्वारा की जावेगी।
6. काटे गये वृक्ष के काष्ठ को वन विभाग मोहला अपने निकटतम डिपों में परिवहन कर विकय पश्चात प्राप्त धन राशि राजस्व मद में जमा कराकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगें।
7. स्वीकृत संख्या से अधिक वृक्षों को ना काटा जावे।
8. सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बीच कोई वन पैदावार काटी जावेगी ना ही ले जाई जावेगी।
9. वृक्षों की कटाई में वन विभाग, विद्युत मंडल एवं लोक निर्माण विभाग के समन्वय से किया जावे तथा इस दौरान सक्षम अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहेगें।
10. उक्त शर्तों के उल्लघंन होने पर यह अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जावें।

यह आदेश आज दिनाँक 18/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व)मोहला,
जिला–मोहला मानपुर अं०चौकी

पृ कमांक /742/अविअ/2026

दिनाँक 18/06/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय मोहला मानपुर अं०चौकी की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।
2. वनमण्डलाधिकारी मोहला की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कार्यालय कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग मोहला मानपुर अं0चौकी (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार मोहला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) मोहला
जिला–मोहला मानपुर अं०चौकी

Scanned with OKEN Scanner